



Namdev Finvest Private Limited

Har Pal Aap Ke Saath ..



उचित व्यवहार संहिता



Har Pal Aap Ke Saath ..

NAMDEV FINVEST PRIVATE LIMITED

Registered Office:

**S-1, S-7-8, SHREE NATH PLAZA, SECOND FLOOR,
NEER SAGAR MARKET, BHANKROTA, JAIPUR,
RAJASTHAN-302026
INDIA**

CIN NO: U65921RJ1997PTC047090

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/16

डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं. 054/03.10.119/2015-16 दिनांक 28 सितंबर 2006 ने सभी एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) पर दिशा-निर्देश जारी किए, जिन्हें उधार कारोबार करते समय उनके द्वारा अपनाया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण के नियमों और शर्तों पर पर्याप्त प्रकटीकरण पर सामान्य सिद्धांत शामिल है और एक गैर-जबरदस्त वसूली पद्धति को भी अपनाया है। 1 एनबीएफसी की नई श्रेणी अर्थात: एनबीएफसी-एमएफआई और सोने के आभूषणों के बदले एनबीएफसी ऋण देने में भी तेजी से वृद्धि। संशोधित परिपत्र 26 मार्च 2012 को जारी किया गया था।

कंपनी द्वारा अपनाई गई उचित व्यवहार संहिता निम्नलिखित हैं:

उ. (i) ऋण के लिए आवेदन और उनकी प्रक्रिया

(ए) उधारकर्ता को सभी संचार स्थानीय भाषा या उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में है।

(बी) ऋण आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी शामिल होती है जो उधारकर्ता के हित को प्रभावित करती है, ताकि अन्य एनबीएफसी द्वारा प्रस्तावित नियमों और शर्तों के साथ एक सार्थक तुलना की जा सके और उधारकर्ता द्वारा सूचित निर्णय लिया जा सके। ऋण आवेदन पत्र में आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का भी उल्लेख होता है।

(सी) कंपनी सभी ऋण आवेदनों की प्राप्ति के लिए पावती देती है। समय सीमा जिसके भीतर ऋण आवेदनों का निपटान किया जाएगा, पावती में इंगित होता है।

(ii) ऋण मूल्यांकन और नियम/शर्तें

कंपनी स्वीकृत पत्र या अन्यथा के माध्यम से उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में ऋण लेने वाले को लिखित रूप में बताती है, वार्षिक ब्याज दर और उसके आवेदन की विधि सहित नियमों और शर्तों के साथ स्वीकृत ऋण की राशि और स्वीकृति रखती है इन नियमों और शर्तों के उधारकर्ता द्वारा अपने रिकॉर्ड पर। कंपनी ऋण प्रलेख में बोल्ड अक्षरों के माध्यम से अपने उधारकर्ताओं से विलंबित भुगतान पर दंडात्मक ब्याज के बारे में सूचित करती है।

कंपनी ऋण की मंजूरी/वितरण के समय ऋण प्रलेख में उद्धृत सभी अनुलग्नों की एक प्रति के साथ ऋण प्रलेख की एक प्रति अधिमानतः उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में प्रस्तुत करती है।

(iii) नियमों और शर्तों में परिवर्तन सहित ऋणों का संवितरण

(ए) कंपनी ऋण लेने वालों को स्थानीय भाषा में या उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव की सूचना देती है, जिसमें संवितरण अनुसूची, ब्याज दर, सेवा शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क आदि शामिल हैं। कंपनी यह भी सुनिश्चित करती है कि परिवर्तन ब्याज दरों और शुल्कों में केवल संभावित रूप से प्रभावी होते हैं। इस संबंध में एक उपयुक्त शर्त को ऋण प्रलेख में शामिल किया गया है।

(बी) प्रलेख के तहत भुगतान या प्रदर्शन को वाप लेने/करने का निर्णय ऋण प्रलेख के अनुरूप लिया जाता है।

(सी) यदि कंपनी किए गए ऋणों के लिए कोई प्रतिभूति स्वीकार करती है, तो उसे सभी देय राशियों की चुकौती पर या किसी भी वैध अधिकार या किसी अन्य दावे के लिए ग्रहणाधिकार के अधीन ऋण की बकाया राशि की वसूली पर जारी किया जाएगा। उधार लेने वाला। यदि सेट ऑफ के ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो उधारकर्ता को शेष दावों के बारे में पूर्ण विवरण और उन शर्तों के बारे में नोटिस दिया जाएगा जिनके तहत कंपनी संबंधित दावे का निपटान/भुगतान होने तक प्रतिभूतियों को बनाए रखने की हकदार है।

(iv) सामान्य

(ए) कंपनी ऋण प्रलेख के नियमों और शर्तों में प्रदान किए गए उद्देश्यों को छोड़कर उधारकर्ता के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है (जब तक कि कोई जानकारी हमारे संज्ञान में नहीं आती है जो पहले उधारकर्ता द्वारा प्रकट नहीं की गई थी)।

(बी) उधारकर्ता के खाते के हस्तांतरण के लिए उधारकर्ता से अनुरोध प्राप्त होने के मामले में, सहमति या अन्यथा यानी कंपनी की आपत्ति, यदि कोई हो, अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर सूचित की जाती है। ऐसा स्थानांतरण कानून के अनुरूप पारदर्शी संविदात्मक शर्तों के अनुसार होगा।

(सी) ऋण की वसूली के मामले में, कंपनी अनुचित उत्पीड़न का सहारा नहीं ले रही है: विषम समय में उधारकर्ताओं को लगातार परेशान करना, ऋण की वसूली के बाहुबल का उपयोग करना आदि। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ उचित तरीके से व्यवहार करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।

2. ग्राहक सुरक्षा के उपाय के रूप में और बैंकों और एनबीएफसी के उधारकर्ताओं द्वारा विभिन्न ऋणों के पूर्व भुगतान के संबंध में एकरूपता लाने के लिए, आरबीआई द्वारा यह सलाह दी जाती है कि एनबीएफसी सभी फ्लोटिंग दर पर पुरोबंध शुल्क/पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लगाएंगे व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से स्वीकृत मीयादी ऋण।

(v) इस निदेशक मंडल की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल ने संगठन के भीतर उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित किया है। ऐसा तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि ऋण देने वाली संस्थाओं के पदारिधिकारियों के नियमों से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को कम से कम अगले उच्च स्तर पर सुना और निपटाया जाता है। निदेशक मंडल उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन और प्रबंधक के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की आवधिक समीक्षा भी करता है। ऐसी समीक्षाओं की एक समेकित रिपोर्ट नियमित अंतराल पर बोर्ड को प्रस्तुत की जारी है, जैसा कि उसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(vi) इस अद्यतन उचित व्यवहार संहिता को 9 मई 2023 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया है। इसे विभिन्न हित धारकों की जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

(vii) शिकायत निवारण अधिकारी

परिचालन स्तर पर, कंपनी अपने ग्राहकों के लाभ के लिए, अपनी शाखाओं/स्थानों पर जहाँ व्यवसाय संचालित होता है, निम्नलिखित सूचनाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित करती है:

(ए) शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन/मोबाईल नं. और ईमेल पता भी) जिससे कंपनी के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए जनता से संपर्क किया जा सकता है।

(बी) यदि एक महीने की अवधि के भीतर शिकायत/विवाद का निवारण नहीं होता है, तो ग्राहक आरबीआई के डीएनबीएस के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से अपील कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में एनबीएफसी का पंजीकृत कार्यालय है।

Physical address of CRPC, Chandigarh as below:

Reserve Bank of India, 4th floor, Sector 17, Chandigarh, 160017

RBI Contact Centre - 14448

संक्षेप में, उपरोक्त सार्वजनिक सूचना ग्राहकों को कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र शिकायत निवारण अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के विवरण के साथ उजागर करने के उद्देश्य से काम करती है।